

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंग
 अनवान इकबाल सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि
 प्रकरण संख्या..... 74, 2024 अन्तर्गत धारा..... 5388, 91 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जोड़ा पालन
--------	-----------------------------------	------------------------

Not pass
 HM
 12/12/25

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण
 अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत
 धारा 53, 88, 91 RTA नोटिस किया।
 वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा
 वादीगण का वादपत्र नोटिस करने
 पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज
 किया जाता है। पत्रावली गिनीति लेकर
 नम्बर से कम लेकर वाखिल कम्प्लैट
 है।



सहायक कलेक्टर एवं बदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)